न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – नेहा छीपा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :–21/2024

उनवान

1. गौरू पुत्र श्री भैरू लाल बंजारा नि0 बंजारो का खेडा, मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. लक्ष्मण पुत्र श्री भैरू लाल बंजारा नि0 बंजारो का खेडा, मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.) मृतक के बजाय कायम मुकाम–
   2/1 रोड़ू पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण बंजारा नि0 बंजारो का खेडा, मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
   2/2 श्याम लाल पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण बंजारा नि0 बंजारो का खेडा, मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
   2/3 कालू लाल पुत्र श्री लक्ष्मण बंजारा नि0 बंजारो का खेडा, मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
   2/4 धर्म लाल पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण बंजारा नि0 बंजारो का खेडा, मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

.... वादीगण

बनाम

1. गंगाराम पुत्र खेमा बंजारा नि0 बंजारो का खेडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
2. किशन पुत्र बिहारी बंजारा नि0 बंजारो का खेडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् कब्जा दिलाये जाने हेतु

उपस्थित :::–

अधिवक्ता वादीगण –श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा उप0
प्रतिवादीगण संख्या 01,02 – अनु0
राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार

अधिकारी

–:: निर्णय ::–

दिनांक 14.11.2024

यह है कि वादीगण के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजी सरहद यह है कि सरहद मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 3922/2 रकबा 1.0369 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3923/2 रकबा 0.1265 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3924/3 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3925/1 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3926/2 रकबा 0.4932 हैक्टयर कुल किता 05 रकबा 1.7198 हैक्टयर भूमि जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादीगण के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है।यह है कि वादीगण वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा वादीगण ने उक्त आराजीयात की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 25/2023 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 12 बारह मई 2023 दो हजार तैबीस को हुआ, जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण को होने पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 दो द्वारा आराजी नम्बर 3926/2, 3925/1, 3924/3, 3923/2 में रकबा 0.404 हैक्टयर भूमि पर माह मई 2023 में कब्जा कर लिया गया जिससे दिनांक 06 छह जून 2023 दो हजार तबीस को उक्त आराजीयात पत्थरगढी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की गयी, जिसमे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 दो का आराजी नम्बर 3926/2, 3925/1, 3924/3, 3923/2 में रकबा 0.404 हैक्टयर भूमि जिसे मौका पर्चा में लाल स्याही से दर्शा रखा है, पर अवैध कब्जा नाया गया। वादीगण की आराजीयात से प्रतिवादी संख्या 01 एक से 02 का कोई हक अधिकार नहीं है। यह है कि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 एक से 02 को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित वादीगण की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 दो आराजी नम्बर 3926/2.3925/1, 3924/3, 3923/2 में रकबा 0.404 हैक्टयर पर किये गये कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी सख्या 01 एक से 02 दो ने कोई ध्यान नही दिया व अन्तिम बार वादीगण ने दिनांक 02 दो मई 2024 दो हजार चौबीस को उनके द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को छोड़कर, उक्त भूमि का कब्जा वादीगण को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 एक से 02 दो वादीगण के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 एक से 02 दो ने वादीगण को धमकी दी कि वादीगण की मर्जी आये जो कर लेना प्रतिवादी संख्या 01 एक रो 02 रक्त आराजीयात से कब्जा नही छोडेगे तथा वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 का कुछ नहीं बिगाड सकता है। इस कारण से वादीगण को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 के विरूद्ध इस आशय की कब्जेयाबी की डिक्री सादिर फरमायी जाना मंगरोप भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 3926/2, 3925/1, 3924/3. 3923/2 में रकबा 0.404 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 01 एवं 2 द्वारा किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादीगण को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। यह है कि वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक वाद दिनांक पाह मई 2023 दो हजार तैबीस को कब्जा कर लेने व दिनांक 06 छह न 2023 दो हजार तैबीस एवं दिनांक 02 दो मई 2024 दो हजार चौबीस को कब्जा छोड़ने से

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड

कब्जा छोडने से इंकार कर देने से से उत्पन्न होकर निरन्तर रूप से जारी है। कि वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 के विरुद्ध इस आशय की कब्जेयाबी की डिक्री सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि सरहद मंगरोप पटवार हल्का मंगरोध भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राजा) मे आराजी नम्बर 3926/2.3925/1, 3924/3, 3923/2 में रकबा 0. 404 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 के द्वारा किये गये कब्जे को पुलिस इमदाद में हटाकर पुनः वादीगण को सिपुर्द कराया जाने की कब्जेयाबी डिक्री वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक से 02 दो के विरूद्ध सादिर फरमायी जावे।

वादी वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपनी एकतरफा साक्ष्य में स्वयं वादीगण गौरू पुत्र श्री भैरू लाल बंजारा नि0 बंजारो का खेडा, मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.) के शपथपत्र प्रस्तुत किये और दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी संवत 2073–2076 की प्रति, पत्थरगढ़ी प्रकरण सं. 25/2023 उनवान गोरू बनाम बंशी वगैरह पारित आदेश दिनांकित 12.05.2023 की प्रतियां एवं इन आदेशों की पालना में रेवेन्यू इन्स्पेक्टर व पटवारी हल्का ने दिनांक 06.06.2023 को वादग्रस्त आराजियात के मौके पर जाकर पर्चा मौका बनाये जिनकी प्रमाणित प्रतियां साक्ष्य में प्रस्तुत की गयी । मौका देखने से पहले भू अभिलेख निरीक्षक ने उक्त प्रार्थनापत्रों में वर्णित पड़ौसियान जिसमें कि प्रतिवादी गंगा पुत्र नारायण नि0 बंजारो का खेडा मंगरोप भी है उसको भी सूचनापत्र जारी किये थे और उनकी मौजूदगी में मौका निरीक्षण कर पर्चा मौका बनाया था।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान बताया की वादी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर लिया गया है। इस कारण उक्त भूमि का कब्जा वादी को दिलाये जावे। मैने वकील वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की विवादित भूमि वादी के खाते चली आ रही है। उक्त भूमि के वादी खातेदार काश्तकार है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत 2073–76 से होती है। वादी के खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर कब्जा कर लिया है। जिसकी ताईद प्रस्तुत पत्थरगढी मौका पर्चा से होती है। जिससे न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 01 व 02 ने वादीगण की ग्राम मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 3922/2 रकबा 1.0369 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3923/2, रकबा 0.1265है0, आराजी नम्बर 3924/3 रकबा 0.0379है0, आराजी संख्या 3925/1 रकबा 0.0253है0, आराजी नम्बर 3926/2 रकबा 0.4932 हैक्टयर कुल किता 05 रकबा 1.7198है0,

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा रकबा 0.0404है0 भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है उससे उसे बेदखल किया जाकर इस 0.0404है0 भूमि का कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जाने बावत् बेदखली आराजियात की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाती है । तहसीलदार हमीरगढ डिक्री अनुसार वादीगण को उक्त 0.0404है0 भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 01, 02 से दिलाया जाना सुनिश्चित करे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे । निर्णय अनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे । निर्णय दिनांक 14.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – नेहा छीपा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–21/2024

उनवान

1. गौरू पुत्र श्री भैरू लाल बंजारा नि0 बंजारो का खेडा, मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. लक्ष्मण पुत्र श्री भैरू लाल बंजारा नि0 बंजारो का खेडा, मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.) मृतक के बजाय कायम मुकाम–

   2/1 रोडू पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण बंजारा नि0 बंजारो का खेडा, मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

   2/2 श्याम लाल पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण बंजारा नि0 बंजारो का खेडा, मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

   2/3 कालू लाल पुत्र श्री लक्ष्मण बंजारा नि0 बंजारो का खेडा, मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

   2/4 धर्म लाल पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण बंजारा नि0 बंजारो का खेडा, मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

.... वादीगण

बनाम

1. गंगाराम पुत्र खेमा बंजारा नि0 बंजारो का खेडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
2. किशन पुत्र बिहारी बंजारा नि0 बंजारो का खेडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

..... प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् कब्जा दिलाये जाने हेतु</u>

उपस्थित :::–

अधिवक्ता वादीगण –श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा उप0

प्रतिवादीगण संख्या 01,02 – अनु0

राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार

दिनांक 14.11.2024

वाद–पत्र डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 01 व 02 ने वादीगण की ग्राम मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा मे अ3922/2 रकबा 1.0369 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3923/2, रकबा 0.1265है0, आराजी नम्बर 3924/3 रकबा 0.0379है0, आराजी संख्या 3925/1 रकबा 0.0253है0, आराजी नम्बर 3926/2 रकबा 0.4932 हैक्टयर कुल किता 05 रकबा 1.7198है0, पर रकबा 0.0404 हैक्टयर भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है उससे उसे बेदखल किया जाकर इस 0.0404है0 भूमि का कब्जा पुनः

उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ (राज.)

वादीगण को दिलाया जाने बाबत् बेदखली आराजियात की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाती है । तहसीलदार हमीरगढ डिक्री अनुसार वादीगण को उक्त 0.0404है0 भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 01, 02 से दिलाया जाना सुनिश्चित करे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे

आज यह अन्तिम डिक्री दिनांक 14.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा(राज.)